न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
383/2016/वाद पत्र	01.08.2016	10.05.2018

उनवान

सुमित्रा पत्नि लादू कीर निवासी ईटड़िया तह0 फूलियाकलां

– वादिया

बनाम

1– रामपाली पत्नि सोजी कीर नि0 ईटड़िया तह0 फूलियाकलां
2– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता वादिया
2. श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम ईटड़िया प0ह0 ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे वादी व प्रतिवादिया संख्या 01 के खातेदारी अधिकार की आ0न0 266, 267 कुल किता 02 रकबा 0.86 है0 स्थित होकर वादिया का 1/2 हिस्सा निहित है। वादिया ने प्रतिवादिया नं0 1 को मौखिक रूप से बंटवाड़ा हेतु कहा गया किन्तु टालमटोल करता आ रहा है। इसलिए वादिया की ओर से बंटवाड़ा कराये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादिया नं0 1 आये दिन मौके पर विवाद उत्पन्न कर उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया रहा है। अतः वादिया के पक्ष मे प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात मे वादिया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादिया नं0 1 का 1/2 हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा कराने का आदेश प्रदान करावे। प्रतिवादिया नं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन कारित न करे न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.09.216 को प्रतिवादिया नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुनील कुमार शर्मा ने अपना अधिकार पत्र पेश किया एवं 08.12.2016 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 23.03.2017 को पेरोकार सरकार प्रकरण मे फोरमल पक्षकार होने से उनका जवाब दावा बन्द किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर दिनांक 10.05.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। अभिभाषक वादिया एवं प्रतिवादिया नं0 1 के अभिभाषक मौके पर

अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर बंटवाड़ा स्कीम तैयार करवा आज ही प्रकरण निस्तारण कराना फरमावे। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनने के पश्चात् वाद वादिया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की बंटवाडा स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को निर्देशित किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रस्तुत किया गया। **मुताबिक बंटवाड़ा स्कीम तहसीलदार, फूलियाकलां वाके ग्राम ईटड़िया की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 413 ख0न0 266 रकबा 0.25 व आ0न0 267 रकबा 0.61 कुल किता 02 रकबा 0.86 है0 का वादिया एवं प्रतिवादिया नं0 1 के मध्य दर्ज हक हिस्से अनुसार** निम्नानुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1– वादिया :– सुमित्रा पत्नि लादू कीर नि0 ईटड़िया के नाम दर्ज किया जावे। रहन बी0ओ0बी शाखा कोठियॉ यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
266	0.25	नहरी द्वितीय	3.15
267 मे से	0.18	नहरी द्वितीय	2.70
किता 2	0.43	–	6.45

2– प्रतिवादिया नं0 1 रामपाली पत्नि सोजी कीर नि0 ईटड़िया के नाम दर्ज किया जावे। रहन बी0ओ0बी0 शाखा कोठियॉ यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
267	0.43	नहरी द्वितीय	6.45
किता 1	0.43	–	6.45

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, फूलियाकला को वादिया व प्रतिवादिया नं0 1 के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व नक्शे मे तरमीम के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं,जिला–भीलवाड़ा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0

उनवान

1– सुमित्रा पत्नि लादू कीर निवासी ईटड़िया तहसील फूलियाकलां

—— वादिया

बनाम

1– रामपाली पत्नि सोजी कीर निवासी ईटड़िया तहसील फूलियाकलां

2– तहसीलदार, फूलियाकलां

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टि0एक्ट

मुकदमा नम्बर 383 सन् 2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदासलत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व. ....X............ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्त दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादिया आंशिक स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवाड़ा स्कीम तहसीलदार, फूलियाकलां वाके ग्राम ईटड़िया की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 413 ख0न0 266 रकबा 0.25 व आ0न0 267 रकबा 0.61 कुल किता 02 रकबा 0.86 है0 का वादिया एवं प्रतिवादिया नं0 1 के मध्य दर्ज हक हिस्से अनुसार निम्नानुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1– वादिया – सुमित्रा पत्नि लादू कीर नि0 ईटड़िया तह0 फूलियाकलां के नाम दर्ज किया जावे । रहन बी0ओ0बी0 शाखा कोठियॉ यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
266	0.25	नहरी द्वितीय	3.15
267मे से	0.18	नहरी द्वितीय	2.70
किता 02	0.43	—	6.45

2– प्रतिवादिया नं01 – रामपाली पत्नि सोजी कीर नि0 ईटड़िया के नाम किया जावे। रहन बी0ओ0बी0 शाखा कोठियॉ यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
267	0.43	नहरी द्वितीय	6.45
किता 01	0.43	—	6.45

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, फूलियाकलां को वादिया एवं प्रतिवादिया नं0 1 के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व नक्शें मे तरमीम के आदेश दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया मे जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉ,जिला–भीलवाड़ा